भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 694

08.02.2021 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के कारण प्रदूषण

694. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वायु-प्रदूषण के स्तर में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के प्रभाव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना की कार्बन फुटप्रिंट (उत्सर्जन) संतुलित करने के लिए लगभग 416 वर्ग किलोमीटर घने वन की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो इसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय के पास कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने हेतु आवश्यक वनाच्छादन का वैकल्पिक अनुमान है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ) मंत्रालय ने मैसर्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, संसद भवन द्वारा सेंट्रल विस्टा, नई दिल्ली में प्लॉट सं.116 और 118 पर संसद भवन के विस्तार और नवीकरण के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना को जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण तथा विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों; स्थल पर परिवेशी वायु गुणवत्ता में अधिकता को नियंत्रित करने की योजना का कार्यान्वयन; यातायात प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन आदि के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि.94(अ) दिनांक 25.01.2018 के अनुपालन शर्तों को भी अधिदेशित किया गया है।

मंत्रालय ने मैसर्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सेंट्रल विस्टा, नई दिल्ली में प्लॉट सं. 137, 120, 22ए, 22बी, 22सी, 23डी, 23सी, 23बी, 138, ए एंड बी हटमेंट, प्लॉट 30बी के हिस्से और 108 पर अन्य भवनों के साथ-साथ साझा केंद्रीय सचिवालय भवन और केंद्रीय सम्मेलन केंद्र के विकास/पुनर्विकास के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) जारी किए हैं।

दोनों प्रस्तावों में वन भूमि का अपवर्तन शामिल नहीं है। विद्यमान संसद भवन के विस्तार और नवीकरण परियोजना में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम के अनुसार, काटे गए वृक्षों के स्थान पर कार्बन फुटप्रिंट के प्रतिसंतुलन के संबंध में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों के साथ-साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण का उल्लेख किया गया है।

परियोजना को जारी विचारार्थ विषयों (टीओआर) में अन्य बातों के साथ-साथ, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के भीतर विकास कार्यकलापों के संचयी प्रभाव का मूल्यांकन तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की तैयारी करना शामिल है।

****